

2010/00000

**राजस्व लोक अदालत केम्प बागावास तहसील पंचपदरा**  
न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा  
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस मुकदमा नं० 53/2018

वादीनी :- हंसीदेवी पत्नि स्व० भंवराराम जाति भील निवासी एकडली बागावास  
बनाम

प्रतिवादीगण :- 1. जरिये तहसीलदार पंचपदरा  
2. शैतानाराम पुत्र मगनाराम  
3. राणाराम पुत्र मगनाराम जाति भील निवासी एकडली बागावास

88 आर.टी.ए दावा बाबत घोषणा

निर्णय

दिनांक:-07.05.2018

वादीनी ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत बागावास में प्रस्तुत की गई है।


वादीनी ने वाद पत्र में सक्षिप्त प्रकरण रूप से जाहिर किया कि ग्राम एकडली के विवादित ख०न०, 51 रकबा 25.10 बीघा, ख०न० 79/52 रकबा 34.05 बीघा में भूमि में संयुक्त खातेदार आयी हुई है जिसमें वादीनी का नाम अणची देवी पत्नि स्व० भंवराराम दर्ज जो गलत नाम है। जब कि सरकारी दस्तावेज में मेरे हंसीदेवी दर्ज है। जो राजस्व रेकर्ड मेरे नाम अणची देवी की जगह सही व शुद्ध नाम हंसीदेवी करने का निवेदन किया है।

जिस पर उपस्थित ब्यान कर्ता हंसीदेवी पत्नि स्व० भंवराराम भील, राणाराम, शैतानाराम पुत्र मगनाराम ने अपने बयानों में जाहिर किया की मौजा एकडली के विवादित ख०न०, 51 रकबा 25.10 बीघा, ख०न० 79/52 रकबा 34.05 बीघा वादीनी का नाम अणची पत्नि स्व० भंवराराम है। जबकि सही नाम हंसीदेवी है। उक्त वाद पत्र के संबंध में पटवारी/आरआई/ की संयुक्त रिपोर्ट प्राप्त की गई। आधार कार्ड, भामाशाह की फोटोप्रति का अवलोकन किया गया।

पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया गया। वादी के प्रस्तुत वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज व पटवारी/आरआई/ की संयुक्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार ग्राम एकडली के विवादित ख०न०, 51 रकबा 25.10 बीघा, ख०न० 79/52 रकबा 34.05 बीघा में वादीनी का नाम अणची पत्नि स्व० भंवराराम है। जब कि अन्य सरकारी दस्तावेज में हंसीदेवी दर्ज है।

अतः वादीनी का वाद पत्र को स्वीकार किया जाता है। वादीनी के एकडली के विवादित ख०न०, 51 रकबा 25.10 बीघा, ख०न० 79/52 रकबा 34.05 बीघा में वादीनी का नाम अणची बैवा स्व० भंवराराम स्थान पर हंसीदेवी पत्नि स्व भंवराराम दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया।  
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो।

  
(भागीरथ राम)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट केम्प-2018  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर  
बालोतरा केम्प.....